# न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 113/2019
GCMS NO. : 2019/00112

–: वादीगण :–

1. ताराचंद पुत्र मांगीलाल रेगर, निवासी– लासनी तहसील– जैतारण जिला–पाली।
2. भीरमाराम पुत्र घीसाराम
3. छोटूराम पुत्र घीसाराम
4. सम्पतराज पुत्र कानाराम जातियान–मेघवाल, निवासी– कुरड़ाया, तहसील–मेड़तासिटी जिला–नागौर।
5. पुखराज पुत्र जलाराम नट निवासी–घोड़ावड़ तहसील– पिपाड़ जिला–जोधपुर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. सीतादेवी पुत्री धन्नाराम जाति–सरगरा निवारी ग्राम फालका, तहसील– जैतारण। फौत के का.मु.

   1/1 बिदामी पुत्री धन्नाराम पत्नी रामचन्द्र जाति–सरगरा निवासी–कुशालपुरा तहसील–रायपुर जिला–पाली।

   1/2 गुटकी पुत्री धन्नाराम पत्नी बींजाराम सरगरा फौत के का.मु.

   1/2/1 त्रिलोक पुत्र बींजाराम जाति–सरगरा निवासी–राबड़ियावास तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.
2. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू:.20/06/2019**

उपस्थित:– 1. श्री सुरेश चौधरी , अधिवक्ता वादीगण ।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

## –:: निर्णय ::–

**दिनॉक:– 01/12/2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील– जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 558 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण तमाम का अपने अपने हक हिस्से अनुसार अधिकार व कब्जा काश्त चला आ रहा है। [illegible] हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर [illegible] के काश्त करते चले आ रहे है। तथा उसी माफिक आज दिन तक काबिज है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित अ[illegible]ी वादीगण एवं सीतादेवी की राजस्व रेकर्ड में सामलाती आराजी है। जिसका कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का वादीगण अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे हैं। एवं इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाड़ा कर दिया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक भी शामलाती चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने, उसका कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादीगण अपनी आराजी में कुआं खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने, उसके चारों तरफ तारबन्दी करनें, खाद-बीज मिट्टी डालनें में वादीगण को अनेको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिये कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा बाबत् यह वादपत्र बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण का अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा [illegible]श्त है। परन्तु प्रतिवादीगण तिलोक वादीगण को मौके से बेदखल कर वादीगण [illegible] बेसकीमती आराजी को हड़प करना चाहता है तथा आये दिन उसके कब्जे काश्त [illegible]खलन्दाजी कर रहे है। तथा वादीगण की आराजी में कब्जा करने पर उतारू [illegible]वादीगण वादीगण की आराजी के चारों तरफ की गई मेड़बदी को बिखेर [illegible] हैं [illegible] दखलंदाजी व हस्तक्षेप करते रहते है। दिनांक 20.05.2019 [illegible]गण अपने हक हिस्से की आराजी में साल संभाल करने गये तो प्रतिवादीगण त्रिलोक आ[illegible] फिर गया एवं वादीगण को उसके हक हिस्से की आराजी में काश्त करने [illegible] से रोक दिया। एवं वादीगण को एलानिया धमकी देता है कि उस[illegible] मौके [illegible] बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेंगे एवं यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को मौके से बेदखल कर [illegible] है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 20.05.2019 को प्रतिवादीगण त्रिलोक ने वादीगण को मौके से बेदखल करने एवं अपना कब्जा जमाने की धमकी दी तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले, जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाड़ा हो रखा है उसी अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर ही आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर लेवे प्रतिवादीगण त्रिलोक इन्कार हो गये एवं वादीगण को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसुबों में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिए महरूम होना पड़ेगा एवं मौके पर लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद बढेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20.05.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी को बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण त्रिलोकर व अन्य द्वारा इन्कार होने एवं वादीगण को मौके से बेदखल करने एवं वादीगण के हक हिस्से की आराजी में फसल बुवाई करने से मना करने की एलानिया धमकी देने से बमुकाम फालका तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में पैदा हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1, एवं 1/2/1 की ओर वकील प्रतिवादी ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब दावा पेश करने का समय चाहा गया। वकील प्रतिवादी जवाबदावा पेश नहीं कर वाद को माफिक राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआ की है। इस पर वकील वादी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर जाहिर किया कि यदि माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादी पर बहस कर मनन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073-2076, ग्राम-फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील-जैतारण के खाता संख्या नया 603, पुराना 592 खसरा नम्बर 558 रकबा 13-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादी 1/3 हिस्सा [illegible] पुत्र मांगीलाल 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 02 भीरमाराम पुत्र घीसाराम [illegible] हिस्सा, वादी संख्या 03 छोटूराम पुत्र घीसाराम वादी संख्या 04 सम्पतराम पुत्र कानाराम का 1/6 हिस्सा, एवं वादी संख्या 05 पुखराज पुत्र जलाराम का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबन्दी में दर्ज है। पक्षकारान अपने-अपने हिस्से का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाहते हैं। लिहाजा पक्षकारान में बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते हुए माफिक सा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील- जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 558 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/1151 दिनांक 26/12/2019 एवं पत्रांक/कोर्ट/2020/279 दिनांक 02/03/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/20/1269 दिनांक 02/06/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

माने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील– जैतारण जिला – पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 558 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा–बिस्वा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीरमाराम पुत्र घीसाराम हि. 1/3, छोटूराम पुत्र घीसाराम हि. 1/3, सम्पतराम पुत्र कानाराम हि. 1/3 कौम मेघवाल सा. कुरडाया तहसील–मेड़ता सिटी जिला– नागौर खातेदार | 558 | 03-09 | बारानी अव्वल |
| 2 | पुखराज पुत्र जलाराम कौम– [illegible] घोड़ावट तहसील– पीपाड़ सिटी(ज[illegible] खातेदार | [illegible] | 03-08 | बारानी अव्वल |
| 3 | बिदामी पुत्री धन्नाराम, तिलोक, [illegible]धादेवी, सहायता देवी, डाली देवी माता [illegible]की देवी कौम– सरगरा सा. देह खातेदार। | 558/[illegible] | 04-12 | बारानी अव्वल |
| 4 | ताराचन्द पुत्र मांगीलाल कौम– [illegible] सा. लासनी खातेदार | 558/[illegible] | 02-06 | बारानी अव्वल |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/12/2021 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

# डिक्री बमुकदमें बटवाड़ा

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण**
**बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

| –ः वादीगण ः– | बनाम | –ः प्रतिवादीगण ः– |
|---|---|---|
| 1. ताराचंद पुत्र मांगीलाल रेगर, निवासी– लासनी तहसील– जैतारण जिला–पाली।<br>2. भीरमाराम पुत्र घीसाराम<br>3. छोटूराम पुत्र घीसाराम<br>4. सम्पतराज पुत्र कानाराम जातियान– मेघवाल, निवासी– कुरड़ाया, तहसील–मेड़तासिटी जिला–नागौर।<br>5. पुखराज पुत्र जलाराम नट निवासी– घोड़ावड़ तहसील– पिपाड़ जिला–जोधपुर। | | 1. रीतादेवी पुत्री धन्नाराम जाति–सरगरा निवासी ग्राम फालका, तहसील– जैतारण। फौत के का.मु.<br>1/1 बिदामी पुत्री धन्नाराम पत्नी रामचन्द्र जाति–सरगरा निवासी–कुशालपुरा तहसील–रायपुर जिला–पाली।<br>1/2 गुटकी पुत्री धन्नाराम पत्नी [illegible]जाराम सरगरा फौत के का.मु.<br>1/2/1 त्रिलोक पुत्र बींजाराम जाति सरगरा निवासी–राबड़ियावास तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.<br>[illegible] तहसील जैतारण जिला–पाली। |

**<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>**

प्रकरण नं0 रा0वा0 स0: 113/2019
दिनांक : 01.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ................ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगणड़, मिनजानिब मुद्दाअलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा [illegible] डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील– जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 558 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा–बिस्वा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीरमाराम पुत्र घीसाराम हि. 1/3, छोटूराम पुत्र घीसाराम हि. 1/3, सम्पतराम पुत्र कानाराम हि. 1/3 कौम मेघवाल सा. कुरडाया तहसील– मेड़ता सिटी जिला– नागौर खातेदार | 558 | 03-09 | बारानी अव्वल |
| 2 | पुखराज पुत्र जलाराम कौम– नट सा0 घोड़ावट तहसील– पीपाड़ सिटी(जोधपुर) खातेदार | 558/1 | 03-08 | बारानी अव्वल |

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | बिदामी पुत्री धन्नाराम, तिलोक, राधादेवी, सहायता देवी, डाली देवी माता गुटकी देवी कौम– सरगरा सा. देह खातेदार। | 558/2 | 04-12 | बारानी अव्वल |
| 4 | ताराचन्द पुत्र मांगीलाल कौम– रेगर सा. लासनी खातेदार | 558/3 | 02-06 | बारानी अव्वल |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/12/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

| मुद्दई | रुपये पैसे | मुद्दायलाह | रुपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 03–00 | स्टाम्प वकालतनामा | 01–00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01–00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | 02–00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | / | मुत्फरिक | |
| मिजानः– | | मिजानः– | 01–00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।